न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या–24 / 2018
तारीख निर्णय– 13 / 03 / 2020

प्रार्थीगण

1. स्वर्गीय दुदाजी पुत्र चेलाजी सिरवी, निवासी सादडी के कायम मुकाम वारिसान
   1 / 1 रामलाल पुत्र दुदाजी आयु–55 वर्ष
   1 / 2 श्रीमति रूपी पुत्री दुदाजी आयु–50 वर्ष
   1 / 3 श्रीमति पोनी पुत्री दुदाजी आयु–45 वर्ष
   1 / 4 श्रीमति रकुरी पुत्री दुदाजी आयु–52 वर्ष
2. स्वर्गीय नाथाजी पुत्र चेलाजी सिरवी, निवासी–सादडी के कायम मुकाम वारिसान
   2 / 1 श्रीमति सोनी बाई पत्नि स्व. नाथाजी आयु–85 वर्ष
   2 / 2 श्रीमति टीपू बाई पुत्री नाथाजी आयु–65 वर्ष
   2 / 3 श्रीमति नाजू बाई पुत्री नाथाजी आयु–60 वर्ष
3. स्वर्गीय भेराजी पुत्र चेलाजी सिरवीं, निवासी–सादडी के कायम मुकाम वारिसान
   3 / 1 चुन्नीलाल पुत्र भेराजी आयु–55 वर्ष
   3 / 2 पुखराज पुत्र भेराजी आयु–53 वर्ष
   3 / 3 रूपाराम पुत्र भेराजी आयु–50 वर्ष
   3 / 4 हीरालाल पुत्र भेराजी आयु–47 वर्ष
   3 / 5 मोहनलाल पुत्र भेराजी आयु–42 वर्ष
   3 / 6 मॉगीलाल पुत्र भेराजी आयु–42 वर्ष
   3 / 7 श्रीमति दरगीबाई पत्नी स्व. भेराजी आयु–80 वर्ष
   तमाम् जातिगण सिरवी(जणवा , चौधरी) निवासीगण–सादडी तहसील–देसूरी जिला–पाली

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी

1. रामा पुत्र पनाजी आयु–बालिग
2. स्वर्गीय वेना पुत्र पनाजी के एकमात्र वारिसान जसराज पुत्र वेनाजी
3. स्वर्गीय खेता पुत्र पनाजी के का. मु वारिसान
   3 / 1 मोहनलाल पुत्र खेताजी आयु–बालिग
   3 / 2 सुखदेव पुत्र खेताजी आयु–बालिग
   3 / 3 हिम्मतमल पुत्र खेताजी आयु–बालिग
   3 / 4 श्रीमति कस्तु पुत्री खेताजी आयु–बालिग
   3 / 5 श्रीमति दाकु पुत्री खेताजी आयु–बालिग
   तमाम ही जाति से घॉची, निवासीगण–सादडी तहसील–देसूरी जिला–पाली

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः (2) राजस्व विविध मु0सं0– 24/2018 प्रार्थी – रामलाल व अन्य बनाम अप्रार्थीगण– रामा व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी..................

(वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

उपस्थिति–
1– प्रार्थीगण की ओर से– वकील शंकरलाल मीणा ।
2– अप्रार्थीगण की ओर से –वकील सुधीर श्रीमाली

निर्णय दिनांकः– 13 /03/2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सादडी चक प्रथम तहसील देसूरी मे प्रार्थीगण के पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है। जिस भूमि के हाल सैटलमेन्ट सम्वत् 2040 के पूर्व पुराने खसरा नम्बर 172 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा थे, जो भूमि हाल सैटलमेन्ट के पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वज दुदा, नाथा भेरा पुत्रगण चेलाजी जाति सिरवी के खातेदारी के दर्ज रही थी हाल सैटलमेन्ट के पूर्व की अन्तिम जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 की प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि भू–प्रबन्ध का कार्य सम्वत् 2040 मे सम्पन्न हुआ है तथा हाल खसरा नम्बर 595 रकबा 0.78 हैक्टर किस्म जा.दो. व चा. दो. वादीगण के पूर्वजों के समय से दर्ज खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि रही है जो मौके की भौतिक स्थिति एवं राजस्व नया व पुराना नक्शा ट्रेस से साबित हैं लेकिन दौराने सैटलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 595 को पुराने खसरा नम्बर 172/6 से मिलान क्षेत्रफल में गलत रूप से दर्शाया गया है।

सैटलमेन्ट सम्वत् 2040 के समय अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन ने सैटलमेन्ट अधिकारियो से मिलावट कर प्रार्थीगण के पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि को खुद के नाम दर्ज करवा दी। जबकि पिछले 60 वर्षो से भी अधिक समय से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण का रहा है, आज भी भौतिक कब्जा प्रार्थीगण का है।

हाल सैटलमेन्ट के बाद प्रार्थीगण ने कभी राजस्व रिकोर्ड की जॉच नही करवाई लेकिन हाल ही में आज से करीब एक माह पूर्व अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि तारबन्दी करवाने लगे तब वादग्रस्त भूमि पर भी कटजा करने की नियत से तारबन्दी की कोशिश की जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण रोका तो

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः (3) राजस्व विविध मु0सं0– 24/2018 प्रार्थी – रामलाल व अन्य बनाम अप्रार्थीगण– रामा व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.................

अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि उपरोक्त भूमि उनके खातेदारी की भूमि है और इस पर हर सूरत में कब्जा करके रहेगे। जिसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकोर्ड की नकले लेने पर सैटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के पुराने खातेदारी एवं वर्तमान में कब्जे काश्त की भूमि में राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण के नाम के इन्द्राज की जानकारी हुई।जिस कारण प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया।

यह है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि एक चक में आई हुई स्थित है। लेकिन हाल सैटलमेन्ट के दौरान अप्रार्थीगण ने सेटलमेन्ट कर्मचारी से मिलकर हाल खसरा नम्बर 604 की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाई। खसरा नम्बर 404 की कृषि भूमि से बने हाल खसरा नम्बर 595 को अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी में दर्ज करवा दिया। यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना उचित रहेंगा की खसरा नम्बर 603 से लगातार खसरा नम्बर 294 तक पुरी जमीन पर कब्जा अप्रार्थीगण का हैं। इसमे खसरा नम्बर 604 पर भी अप्रार्थीगण का बहैसियत खातेदार के कब्जा है लेकिन रिकोर्ड में सिवाय चक होने से इस जमीन को सम्मिलित नहीं करने पर अप्रार्थीगण के पुराने रिकोर्ड अनुसार रकबा बराबर होता है लेकिन अगर सिवाय चक जमीन को शामिल किया जाता है तो इनके कब्जे की जमीन का रकबा बढ जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने बडी होशियारी से अपने खातेदारी का रकबा पुराने रिकोर्ड अनुसार ही रखने की नियत से जानबुझकर अपने कब्जे के एक खसरे खसरा नम्बर 604 को सिवाय चक दर्ज करवाते हुए अपने कब्जे में रखते हुये प्रार्थीगण के पुश्तौनी कब्जे काश्त व पुराने रिकोर्ड अनुसार खातेदारी कृषि भूमि को नये रिकोर्ड में अपने नाम दर्ज करवा दिया। इस प्रकार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व पुराने रिकोर्ड अनुसार खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा से माकिफ नक्शा ट्रेस एवं माफिक भौतिक कब्जा अनुसार बने हाल खसरा नम्बर 595 रकबा 0.78 हैक्टर को अप्रार्थीगण ने सैटलमेन्ट कर्मचारियो से मिलावट कर अपनी खातेदारी में दर्ज करवा दिया जो गलत इन्द्राज है।

पुराने खसरा नम्बर 172 में प्रार्थीगण के पुर्वज दुदा, नाथा, भेरा पिसरान चेलाजी खातेदार के रूप में दर्ज थे एवं वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 595 पर इनका कब्जा भी रहा है। तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण का बहैसियत खातेदार कब्जा आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। लेकिन सैटलमेन्ट के बाद पुराने खसरा नम्बर 172 या 172 से जो भी मीन नम्बर पडे है उसमें किसी खसरे में प्रार्थीगण का नाम या उनके पूर्वजों का नाम दर्ज नही रहा है।

वाद पत्र के निस्तारण में समय लगो इस दौरान अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण के वाद पत्र पेश

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:58 IST
Reason: SelfAttested

करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। और प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो में नही किया जा सकेगा।

वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की सुरत में विवाद होने की सम्भावना है।मौके पर शान्ति भंग होने का पूर्व अंदेशा है।तथा प्रार्थीगण जो एक काश्तकार है वह काश्त के कार्य से वंछित हो जायेगा।

अतः वादपत्र के निस्तारण तक सरहद मौजा सादडी चक प्रथम के हाल खसरा नम्बर 595 रकबा 0.78 हैक्टर कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल नही करने व वादग्रसत भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं करने बाबत एवं रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किया जावे।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सुधीर श्रीमाली ने वकालत नामा पेश किया।

वकील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कहना गलत है कि प्रार्थीगण के पूर्वज दुदा, नाथा, भेरा पुत्र चेलाजी सिरवी की पूराने खसरा नम्बर 172 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 07 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि हो। साथ ही यह भी वर्णित नही है कि पुराने खसरा नम्बर 172 का कुल क्षेत्रफल कितना था। यह भी गलत है कि हाल खसरा नम्बर 595 रकबा 0.78 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी, कब्जासूद हो।

यह भी गलत है कि सेटलमेन्ट विभाग ने गलत मिलान क्षेत्रफल के जरिये खसरा नम्बर 595 को पुराने खसरा नंम्बर—172/6 से बनता गलत बताया हो। प्रार्थीगण ने बिना किसी विधिक एवं रिकार्डेड आधार के उक्त तथ्य वर्णित किये है।

जबकि वास्तव में अप्रार्थीगण घांची जाति के व्यक्ति है। अप्रार्थीगण के पूर्वज स्वर्गीय पना पुत्र चेला घांची के नाम पुराने राजस्व रिकोर्ड में सेटलमेन्ट के पूर्व पुराने खसरा नम्बर 172/6, 172 कुल रकबा साढे इकतालीस बीघा(41.50) खातेदारी व कब्जासूद दर्ज थी। जिसके नये खसरा नम्बर 592, 593, 595, 596, 600, 601, 605, 606, 607, 608 कुल रकबा 6.7400 हैक्टर यानि 42 बीघा करीब कृषि भूमि ही अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी व कब्जासूद विद्यमान होकर सेटलमेन्ट के पश्चात से लगाय आज तक दर्ज है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासूद कृषि भूमि का भाग खसरा नम्बर 595 रकबा 0.78 हैक्टर भूमि को गलत रूप से वादग्रस्त भूमि वर्णित किया है। जबकि पूर्व खसरा नम्बर 172/6 से अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज थी तथा वर्तमान में भी दर्ज है। तथा प्रार्थी का यह भी कहना गलत है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में सेटलमेन्ट के दौरान 5 बीघा भूमि बढी हो तथा गलत इन्द्राज हुआ हो।

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः (5) राजस्व विविध मु0सं0– 24/2018 प्रार्थी – रामलाल व अन्य बनाम अप्रार्थीगण– रामा व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी..................

अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के एक माह पूर्व किसी प्रकार की धमकी नहीं दी तथा न ही बलपूर्वक कृत्य किया है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.04.2018 को अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासूद कृषि भूमि का भाग नये खसरा नम्बर–595 रकबा 0.78 हैक्टर में प्रार्थीगण द्वारा बलपूर्वक घुसने की कोशिश करने लगे, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना सादडी मे धारा 107, 116(3) के तहत केस दर्ज किया। इसी अपराध के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 305.2018 को पुनः अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर–595 रकबा 0.78 हैक्टर कब्जा करने की नियत से प्राण घातक हमला किया जिसमें अप्रार्थी के बेटे भंवरलाल के सिर में गम्भीर चोट आई। अप्रार्थीगण अपने उपचार करवाने में अस्पताल गये, भर्ती रहे। जिस दौरान प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासूद कृषि भूमि खसरा नम्बर 595 रकबा 0.7800 हैक्टर पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया।जिस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना–सादडी में पेश की जो प्रकरण संख्या 77/2018 से प्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर दिया है जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है।

यह भी गलत है कि अप्रार्थीगण ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलीभगत कर नये खसरा नम्बर 604 को सिवाय चक तथा नये खसरा नम्बर–603 को अपनी खातेदारी की दर्ज करवा दिया हो। तथा नये खसरा नम्बर 603, 604 के बारे में प्रार्थीगण ने मात्र अप्रार्थीगण पर अनावश्यक अनुचित दबाव बनाने की बदनियति से गलत वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थना पत्र में सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को तंग–परेशान करने की बदनियति से गलत वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है।प्रार्थना पत्र का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया खारिज योग्य है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 595 रकबा 0.78 पर पुश्तैनी रूप से कब्जा एवं

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:58 IST
Reason: SelfAttested

काश्त प्रार्थीगण का चला आ रहा हैं तथा पुराने रिकोर्ड अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज थी। अतः पुराने रिकोर्ड व मौके पर भौतिक स्थिति के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।

वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थीगण की बहस का खण्डन करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज स्वर्गीय पना पुत्र चेला घांची के नाम पुराने राजस्व रिकोर्ड में सेटलमेन्ट के पूर्व पुराने खसरा नम्बर 172/6, 172 कुल रकबा साढे इकतालीस बीघा(41.50) खातेदारी व कब्जासूद दर्ज थी। अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी व कब्जासूद विद्यमान होकर सेटलमेन्ट के पश्चात से लगाय आज तक दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण द्वार बलपूर्वक वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया है जिस संबंध में रिपोर्ट पुलिस थाना–सादडी में पेश की जो प्रकरण संख्या 77/2018 से प्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज है।

वादग्रस्त आराजी संबंध में अप्रार्थीगण का विधिक अधिकार आज तक वैध है एवम् अप्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अप्राथीगण ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलीभगत कर नये खसरा नम्बर 604 को सिवाय चक तथा नये खसरा नम्बर 603 को अपनी खातेदारी दर्ज करवा दिया है। तथा अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 595 को अपने नाम गलत दर्ज करवा दिया।

वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थीगण की बहस का खण्डन करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज स्वर्गीय पना पुत्र चेला घांची के नाम पुराने राजस्व रिकोर्ड में सेटलमेन्ट के पूर्व पुराने खसरा नम्बर 172/6, 172 कुल रकबा साढे इकतालीस बीघा(41.50) खेंतेदारी व कब्जासूद दर्ज थी। जिसके नये खसरा नम्बर 592, 593, 595, 596, 600, 601, 605, 606, 607, 608 कुल रकबा 6.7400 हैक्टर यानि 42 बीघा करीब कृषि भूमि ही अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी व कब्जासूद विद्यमान होकर सेटलमेन्ट के पश्चात् से लगाय आज तक दर्ज है। जो सेटलमेन्ट के दौरान के खसरा नम्बर परिवर्तनशील, मिलान क्षेत्रफल इत्यादि से पूर्णतया स्पष्ट है। अतः इन काल्पनिक तथ्यों के आधार पर खातेदार के खातेदारी हक, अधिकारों को चेलेन्ज करने का प्रार्थीगण को कोई हक, अधिकार नहीं है।

अप्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार है अतः सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

पेज लगातार 07 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः (7) राजस्व विविध मु0सं0– 24/2018 प्रार्थी – रामलाल व अन्य बनाम अप्रार्थीगण– रामा व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी..................

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस मे कथन किया कि वाद खातेदारी हक अधिकारो का है। वादग्रस्त आराजी के मुकदमे की सुनवाई होकर निर्णय होने में काफी समय लगेगा इस दौरान यदि प्रार्थीगण जो कि काश्तकार है वह काश्त के कार्य से वंछित हो जायेगे तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 595 रकबा 0.78 हैक्टर से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया वादग्रस्त आराजी नये खसरा नम्बर 595 रकबा 0.78 हैक्टर के संबंध में किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हो रही है इसके विपरीत अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण वादग्रसत आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर दिया है, जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है।

यदि विवादित आराजियात नम्बर 595 रकबा 0.78 हैक्टर के संबंध मे प्रार्थी के पक्ष मे एवम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को कोई ऐसी अपूरणीय क्षति नही होगी। जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही की जा सके तथा इस स्तर पर यह भी नही कहा जा सकता कि अप्रार्थीगण की खातेदारी गलत अथव अवैध है अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0काश्त0 अधि0अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक– 13/03 /2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:58 IST
Reason: SelfAttested